रा.सं.सं./शोध-प्रकाशन/105-21/2019/287
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान(मानित विश्वविद्यालय)
56-57, इन्स्टीट्युशनल एरिया
जनक पुरी, नई दिल्ली

दिनांक 20.11.2019

अधिसूचना

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित विद्यावारिधि (पी-एचडी.) पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचनाओं के अनुसार संशोधित/परिवर्तित विद्यावारिधि (पी-एचडी.) की नियमावली सूचनार्थ एवं पालनार्थ संलग्न है।

Sd/
डा0 मधुकेश्वर भट्ट
प्रभारी, शोध एवं प्रका.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य समस्त परिसर
2. निदेशक पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिर, बैंगलोर
3. परीक्षा नियंत्रक, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
4. उपनिदेशक शैक्षनिक
5. संबद्ध संचिता

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय)

विद्यावारिधि नियमावली

(Ph.D. Guidelines)

56-57, इन्स्टट्यूशनल एरिया, जनकपुरी

नई दिल्ली-110058

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय)
जनकपुरी, नई दिल्ली
विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि-विषय

राष्ट्रिय-संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) स्वयं अथवा अपने अंतर्गत सभी परिसरों अथवा सम्बद्धताप्राप्त संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली शोधोपाधि को विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) के नाम से अभिहित करता है।

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 एवं 2018 के प्रावधानों के अनुपालन में दिनांक **23.08.2019** को आयोजित विद्वत् परिषद एवं राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक **23.08.2019** में प्रस्ताव संख्या **74.3** के अन्तर्गत उक्त विनिमय को राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार किया गया है। तदनुरूप विद्यावारिधि में प्रवेश प्राप्त करने, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और उपाधि प्राप्त करने के लिए बनाये गये नियमों को राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान विद्यावारिधि (पी-एच्.डी) नियामावली कहा जाएगा।

1.2 राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान की शोध उपाधि का नाम 'विद्यावारिधि (पी-एच.डी.)' होगा। राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र में आंग्ल भाषा में पी-एच.डी. लिखा जायेगा। प्रमाण पत्र का प्रथम भाग संस्कृत में और द्वितीय भाग अंग्रजी में होगा। प्रमाण पत्र में शोध शीर्षक और विषय का उल्लेख किया जायेगा। प्रमाण पत्र में यह भी उल्लिखित होगा कि विद्यावारिधि की उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी-एच.डी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनिमय, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की जा रही है।

2. पी-एच.डी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड तथा अर्हता

2.1 वे सभी विद्यार्थी, जो संस्कृत के किसी भी विषय में आचार्य/एम.ए. (संस्कृत), तत्समकक्ष उपाधि, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के परिसरों, विश्वविद्यालय अनुदान अयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हों तथा संस्थान द्वारा आयोजित विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा में अर्हता क्रम में उत्तीर्ण हों, पञ्जीकरण के लिए आवेदन पात्र हेतु अर्ह होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non – Creamy layer) अन्यथा अक्षम अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र हेतु 05 प्रतिशत छूट के साथ अर्ह होंगे।

2.2 संस्थान के परिसरों एवं अन्य महाविद्यालयों/विद्यालयों के अध्यापक अनुसन्धाता जिन्होंने आचार्य अथवा एम. ए. संस्कृत परीक्षा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है 'अध्यापक-शोधार्थी, के रूप में आवेदन कर सकते हैं। किन्तु उनका नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) के नियमानुसार ही होगा।

2.3 वे सभी विदेशी विद्यार्थी जिन्होंने भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत के किसी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा उसके समान श्रेणी में उत्तीर्ण की है, अथवा

विदेशी विश्वविद्यालय से भारत में प्रत्यायित स्नातकोत्तर (संस्कृत या समकक्ष उपाधि जो संस्थान की विद्यापरिषद् द्वारा प्रमाणित हो) उपाधि धारक छात्र भारत-सरकार के विदेश-मन्त्रालय एवं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के माध्यम से शोध-छात्र के रूप में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं।

3. प्रवेश प्रक्रिया एवं पंजीकरण

3.1 राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित विद्यावारिधि पाठयक्रम में छात्र का प्रवेश राष्ट्रिय स्तर पर आयोजित विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा के परिणाम के माध्यम से होगा।

3.2 विद्यावारिधि में प्रवेश हेतु नेट (जे.आर.एफ. सहित)/स्लेट/गेट/शिक्षक अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों और विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) उपाधि धारक को भी विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

3.3 विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा में वरीयता क्रम से चयनित छात्र अपना प्रवेश शुल्क जमा कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात् षाण्मासिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद छात्र निश्चित अवधि में अपना शोध-प्रारूप शोध-निर्देशक द्वारा अग्रसारित कराकर सम्बद्ध परिसर में जमा करेगा। तत्पश्चात् परिसर की स्थानीय शोध समिति शोधार्थियों की तथा उनके द्वारा निर्धारित शोध-विषयों एवं शोध-प्रारूपों की समीक्षा करेगी। प्राचार्य उचित आवेदन-पत्रों को निर्धारित तिथि तक केन्द्रीय शोध-मण्डल में विचार एवं स्वीकृति हेतु राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नई दिल्ली को प्रेषित करेंगे। राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के शोध मण्डल द्वारा स्वीकृति के पश्चात् सम्बद्ध परिसर को निर्णय की सूचना प्रेषित की जाएगी। परिसर के साथ-साथ संस्थान मुख्यालय में भी शोध कार्य किया जा सकता है।

3.4 विद्यावारिधि में प्रवेश विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित विषयों में होगा।

3.5 **विषयः**- 1. साहित्य, 2 प्राचीन व्याकरण, 3. नव्य व्याकरण, 4. फलितज्यौतिष, 5. सिद्धान्त ज्यौतिष, 6. न्यायवैशेषिक, 7. नव्यन्याय, 8. अद्वैतवेदान्त, 9. द्वैतवेदान्त, 10. मीमांसा, 11. साङ्ख्ययोग, 12. सर्वदर्शन, 13. बौद्धदर्शन, 14. जैनदर्शन, 15. धर्मशास्त्र, 16. पुराणेतिहास, 17. वेद, 18. पौरोहित्य, 19. शिक्षाशास्त्र, 20. काश्मीरशैवदर्शन, 21. सामान्य संस्कृत।

3.6 संस्थान द्वारा अपनी वेबसाईट पर पी-एच.डी. के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर किया जाएगा। सूची में पंजीकृत शोध छात्र का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि का विवरण होगा। पंजीकृत शोध छात्रों से सम्बन्धित वार्षिक सूची की एक प्रति समस्त परिसर प्राचार्य के पास भी संरक्षित होगी।

3.7 विद्यावारिधि में पंजीकरण के लिये संस्तुत छात्र को केन्द्रीय शोध मण्डल द्वारा निर्धारित विषय विशेषज्ञ शोध-निर्देशक के अन्तर्गत शोध कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसकी देख-रेख विभागीय अध्ययन मण्डल और विभाग शोध समीक्षा द्वारा निर्धारित समयानुसार की जायेगी। किसी भी अध्यापक को निर्धारित संख्या से अधिक विद्यावारिधि में प्रवेश प्राप्त छात्रों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं होगी।

3.8 विद्यावारिधि उपाधि के लिये किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियुक्त अध्यापक को भी विद्यावारिधि प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का शोध

में पंजीकरण शोध मण्डल की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा। ऐसे अध्यापकों को निर्धारित शोध पाठ्यक्रम में भाग लेना और सम्बन्धित सत्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य होगा।

3.9 सम्बन्धित विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से निर्धारित अवधि के लिये अध्ययन अवकाश लेना भी अनिवार्य होगा।

4. विद्यावारिधि के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं की अर्हता

4.1 छात्र/छात्रा जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक आवेदन के लिए अनिवार्य होगा, अनु.जाति/जन जाति और गैर लाभान्वित श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी जायगी।

4.2 इस परीक्षा के लिए ऐसे विद्यार्थी भी अर्ह माने जायेंगे जिन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा दी हो किन्तु परिणाम घोषित न हुआ हो। ऐसे छात्रों को पंजीकरण के पूर्व, निर्धारित योग्यता के अनुरूप अंकपत्र (आवश्यक प्रतिशत के साथ) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्नातकोत्तर परीक्षा में सम्मिलित केवल वही छात्र विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा देने के लिए अर्ह होंगे जिन्हें स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हो।

4.3 वे सभी विदेशी विद्यार्थी जिन्होंने भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत की किसी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा उसके समान श्रेणी में अर्जित की हो, भारत-सरकार के विदेश-विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से शोध-छात्र के रूप प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं।

4.4 भारत शासन के नियमानुसार आरक्षण (अनु. जाति 15 प्रतिशत, अनु. जनजाति 7.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत) नीति लागू होगी। अन्य पिछड़ी जाति के क्रीमीलेयर (उच्च आर्थिक स्तर) में न आने वाले शोधछात्रों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस विषय में यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी।

4.5 नेट/जे.आर.एफ./एम.फिल. (NET/JRF/M.Phil.) उत्तीर्ण छात्रों को भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। प्रथम प्रश्न पत्र के तीनों खण्डों - क, ख एवं ग में उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत पृथक्-पृथक् 50 प्रतिशत अंक होगा।

4.6 दोनों प्रश्न पत्रों में उत्तीर्णता का प्रतिशत पृथक्-पृथक् 50 प्रतिशत अंक होगा। विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा में प्राप्ताकों के अनुसार निर्मित वरीयता सूची के आधार पर परिसर में उपलब्ध स्थान पर प्रवेश दिया जा सकेगा। वरीयता सूची का निर्माण विषयानुसार होगा।

5. प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्रों का विवरण

5.1 विद्यावारिधि के प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे जिनका विवरण निम्नलिखित है-

प्रथम पत्र इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थी द्वारा स्नातकोत्तर पाठयक्रम में अधीत शास्त्र का सम्यक् ज्ञान अपेक्षित है। अन्तः शास्त्रीयविषयतालिका के अनुसार छात्र 'स्वरुचि का एक विषय' चुनकर उत्तर दे सकता है। कई

विषय-वर्गों से उत्तर दिये जाने पर किसी एक विषय वर्ग को ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी । विषयों की तालिका निम्नलिखित है:-

तालिका :

विषय	**अन्तः शास्त्रीय विषय**
अद्वैतवेदान्त	सांख्ययोग, न्याय, वैशेषिक, पुराणेतिहास, मीमांसा, आगम, बौद्धदर्शन, जैन दर्शन, सर्वदर्शन, संस्कृत (दर्शनवर्ग), तन्त्र-योग रामानन्दवेदान्त, विशिष्टाद्वैतवेदान्त, द्वैताद्वैत।
द्वैतवेदान्त	सांख्ययोग, न्याय, वैशेषिक, पुराणेतिहास, मीमांसा, आगम, बौद्धदर्शन, जैन दर्शन, सर्वदर्शन, संस्कृत (दर्शनवर्ग), तन्त्र-योग रामानन्दवेदान्त, विशिष्टाद्वैतवेदान्त, द्वैताद्वैत।
सांख्ययोग	वेदान्त, न्यायवैशेषिक, पुराणेतिहास, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, आगम, आयुर्वेद, संस्कृत (दर्शन वर्ग), तन्त्र- योग, द्वैताद्वैत, प्रकृति विज्ञान।
न्याय-वैशेषिक	वेदान्त, सांख्ययोग, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, संस्कृत (दर्शन वर्ग), दर्शन शास्त्र से एम.ए. (बी.ए. स्तर तक संस्कृत के साथ), तंत्र-योग सर्वदर्शन, द्वैताद्वैत, आधुनिक न्यायशास्त्र, नीतिशास्त्र, विधिशास्त्र (Law), संगणक विज्ञान।
नव्यन्याय	वेदान्त, सांख्ययोग, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, संस्कृत (दर्शन वर्ग), दर्शन शास्त्र से एम.ए. (बी.ए. स्तर तक संस्कृत के साथ), तंत्र-योग सर्वदर्शन, द्वैताद्वैत, आधुनिक न्यायशास्त्र, नीतिशास्त्र, विधिशास्त्र (Law), संगणक विज्ञान।
पुराणेतिहास	वेदान्त, सांख्ययोग, वेद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, आगम तन्त्रयोग, सर्वदर्शन, दर्शन, साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति।
नव्य व्याकरण	वेद, साहित्य, सर्वदर्शन, दर्शन, पुराणेतिहास, भाषाविज्ञान (शास्त्री/बी.ए. स्तर तक संस्कृत के साथ), संस्कृत, पालि, प्राकृत, भारतीय भाषाएँ, संगणक विज्ञान, तुलनात्मक-भाषा-विज्ञान ।
प्राचीन व्याकरण	वेद, साहित्य, सर्वदर्शन, दर्शन, पुराणेतिहास, भाषाविज्ञान (शास्त्री/बी.ए. स्तर तक संस्कृत के साथ), संस्कृत, पालि, प्राकृत, भारतीय भाषाएँ, संगणक विज्ञान, तुलनात्मक-भाषा-विज्ञान।
फलित ज्योतिष	वेद, वेदांग, सिद्धान्तज्योतिष, फलित-ज्योतिष, संहिता, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, कृषि-विज्ञान, मौसमविज्ञान, अंतरिक्षविज्ञान, खगोलशास्त्र, प्रकृतिविज्ञान, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, धर्मागम, सर्वदर्शन।
सिद्धान्त ज्योतिष	वेद, वेदांग, सिद्धान्तज्योतिष, फलित-ज्योतिष, संहिता, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, कृषि-विज्ञान, मौसमविज्ञान, अंतरिक्षविज्ञान, खगोलशास्त्र, प्रकृतिविज्ञान, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, धर्मागम, सर्वदर्शन।
धर्मशास्त्र	वेद, वेदांग, सिद्धान्तज्योतिष, फलित-ज्योतिष, संहिता, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, कृषि-विज्ञान, मौसमविज्ञान, खगोलशास्त्र, अंतरिक्षविज्ञान, प्रकृतिविज्ञान, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, धर्मागम, सर्वदर्शन, दर्शन, मीमांसा, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, संस्कृति, तुलनात्मक

	विधिशास्त्र, भारतीय-विधिशास्त्र, आधुनिक-भारतीय-कानून, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति।
शिक्षाशास्त्र	व्याकरण, न्याय, साहित्य, धर्मशास्त्र, वेद, पौरोहित्य, वेदान्त, ज्योतिष, कर्मकाण्ड आदि परम्परागत विषय, एम.ए. (संस्कृत) इसके साथ शिक्षाचार्य/एम.एड्. एम.ए. (शिक्षा), एम.फिल्- (शिक्षा), मनोविज्ञान सामाजशास्त्र/दर्शनास्त्र में एम.ए।
मीमांसा	धर्मशास्त्र, वेद, वेदान्त, आगम, संस्कृत (दर्शन वर्ग), दर्शन, (शास्त्री स्तर तक संस्कृत), तन्त्रयोग, सांख्ययोग, धर्मागम, सर्वदर्शन, व्याकरण, न्याय।
बौद्धदर्शन	पालि, प्राकृत, संस्कृत (दर्शन वर्ग), प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति (शास्त्री स्तर तक संस्कृत के साथ), जैन दर्शन, शैवदर्शन, सांख्ययोग, योगागम, तन्त्रयोग, जैनतन्त्र बौद्धतंत्र, सर्वदर्शन वास्तु, न्याय, दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेद।
जैन दर्शन	प्राकृत, पालि, संस्कृत, बौद्धदर्शन, सांख्य-योग, स्थापत्य एवं कला, भारतीय प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति (शास्त्री/बी.ए. स्तर तक संस्कृत के साथ), जैनतन्त्र, बौद्धतन्त्र, सर्वदर्शन, न्याय, दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेद।
साहित्य	व्याकरण, पुराणेतिहास, तन्त्रागम, संस्कृति, दर्शन, पालि, प्राकृत (स्नातक स्तर तक संस्कृत के साथ), एम.ए. संस्कृत (साहित्य वर्ग), आयुर्वेद, जैनतन्त्र, बौद्धतन्त्र, सर्वदर्शन, न्याय, दर्शन, व्याकरण।
वेद	वेदांग, वेदान्त, आगम, तन्त्रागम, योगतन्त्र, धर्मशास्त्र, मीमांसा, पौरोहित्य, पुराणेतिहास, सांख्ययोग, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, (शास्त्री स्तर तक संस्कृत के साथ), पुरातत्त्व, (स्नातक स्तर तक संस्कृत के साथ), अभिलेख शास्त्र (स्नातक स्तर तक संस्कृत के साथ), आयुर्वेद, सर्वदर्शन, वास्तु, गणित, विज्ञान (science)।
सर्वदर्शन	सांख्ययोग, न्याय, वैशेषिक, पुराणेतिहास, मीमांसा, आगम, बौद्धदर्शन, जैन दर्शन, सर्वदर्शन, संस्कृत (दर्शनवर्ग), तन्त्र-योग रामानन्दवेदान्त, विशिष्टाद्वैतवेदान्त, द्वैताद्वैत।
पौरोहित्य	वेदांग, वेदान्त, आगम, तन्त्रागम, योगतन्त्र, धर्मशास्त्र, मीमांसा, पौरोहित्य, पुराणेतिहास, सांख्ययोग, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति।
कश्मीर शैवदर्शन	सांख्ययोग, न्याय, वैशेषिक, पुराणेतिहास, मीमांसा, आगम, बौद्धदर्शन, जैन दर्शन, सर्वदर्शन, संस्कृत (दर्शनवर्ग), तन्त्र-योग रामानन्दवेदान्त, विशिष्टाद्वैतवेदान्त, द्वैताद्वैत।
सामान्य संस्कृत	संस्कृत साहित्य।

स्नातकोत्तर स्तर पर जो विषय होगा उसी विषय में विद्यावारिधि उपाधि प्रदान की जाएगी।

प्रथम प्रश्नपत्र की संरचना अधोलिखित है-

क. स्वशास्त्रीय/अन्तः शास्त्रीय विषय - 50 अंक

ख. संस्कृत से हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद - 25 अंक

ग. अंग्रेजी/हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद – 25 अंक

कुल योग- 100 अंक

द्वितीय पत्र

इसमें निम्नलिखित विषयों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे-

खण्ड-'क'

1. सामान्य ज्ञान (भारत, भारतीय समाज एवं संस्कृति) 06 अंक
2. संस्कृत भाषा का क्रमिक विकास (भिन्न-भिन्न शास्त्रों एवं कालों में) 06 अंक
3. विविध धर्म एवं दर्शन (भारत में प्रचलित/उद्भूत) 06 अंक
4. सर्वशास्त्रों के मूलाधार (मूलसिद्धान्तमात्र का ज्ञान) 06 अंक
5. पाण्डुलिपि विज्ञान/शोध प्रविधि का सामान्य परिचय 06 अंक

कुल अंक- 30

खण्ड-'ख'

(सन्धि, समास, कारक, वाच्य, सुबन्त, तिङन्त, कृदन्त, तद्धित का सामान्य ज्ञान) **25 अंक**

खण्ड-'ग' निम्नलिखित विषयों का सामान्य ज्ञान

वेद 04 अंक

छन्द 04 अंक

ज्योतिष 04 अंक

पुराणेतिहास 04 अंक

अलंकारशास्त्र 04 अंक

कुल - 20 अंक

खण्ड-'घ'

संस्कृत साहित्य (सामान्य परिचय) **कुल - 24 अंक**

कुल योग- 100 अंक

6. विद्यावारिधि षाण्मासिक पाठ्यक्रम

6.1 विद्यावारिधि हेतु पंजीकृत छात्र के लिये छः माह के सत्रीय पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। सत्रीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये छात्र द्वारा 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा 75 प्रतिशत की निर्धारित उपस्थिति अस्वस्थता के कारण पूर्ण नहीं कर पाता/पाती है तो आवश्यक प्रमाण पत्र और पाठ्यक्रम में उसकी दक्षता को ध्यान में रखते हुये उपस्थिति दिवसों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है। छः माह के सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही शोध पंजीकरण को नियमित स्वीकार किया

जायेगा। छः माह के सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा की उत्तीर्णता के पूर्व शोध पंजीयन पूर्णतः अस्थायी होगा

7. षाण्मासिक पाठ्यक्रम का विवरण -

7.1 षाण्मासिक पाठ्यक्रम में 100-100 अंकों के तीन पत्र होंगे। उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा की उत्तीर्णता के लिए प्रति पत्र 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है :

विद्यावारिधि सत्रार्द्ध पाठ्यक्रम
प्रथम पत्रम्/Paper-I (Part-a)
अनुसन्धानपद्धतिः/Research Methodology

Max. marks-50

Unit-I अनुसन्धानस्य स्वरूपं सीमा च

1. अनुसन्धानशब्दस्य निर्वचनम्र।
2. समालोचनम्, परिशीलनम्, अध्ययनम् इत्यादि पदानां पदेन सम्बन्धविवेचनम्।
3. आधुनिकविदुषां मतेन कोशानामाधारेण प्रयोगपरिशीलनेन च अनुसन्धानपदस्य कानिचन निर्वचनानि।

संस्कृतवाङ्मये अनुसन्धानस्य सीमा

1. वैदिकलौकिकदर्शनवाङ्मयम्
2. ग्रन्थानां समीक्षात्मकमध्ययनम्
3. मातृकासम्पादनम्, पाठसमीक्षात्मकमध्ययनच (महाभारतस्य आलोचनात्मकसंस्करणान्याश्रित्य)
4. संस्कृतविदुषां व्यक्तित्वम्
5. अनुसंन्धानस्य नूतनक्षेत्राणि

Unit-II अनुसन्धानस्य प्रकाराः विषयचयनम् संक्षिप्तिका च

1. विमर्शात्मकमध्ययनम् (Critical Study)
2. तुलनात्मकमध्ययनम् (Comparative Study)
3. विशिष्टमध्ययनम् (Special Study)
4. मातृकासम्पादनम्
5. विश्लेषणात्मकमध्ययनम् (Analytical Study)
6. अन्तः शास्त्रीयमध्ययनम् (Inter-disciplinary Study
7. सर्वेक्षणम् (Survey of Reasarch)
8. स्वतन्त्रशोधविषयः

अनुसन्धानविषयचयने मूलसिद्धान्ताः

1. अभिरुचिः
2. योग्यता
3. विषयप्राधान्यम्
4. सामग्रीसमुपलब्धिः

संक्षिप्तकायां शीर्षकलिर्माणे अवधेयांशाः

1. स्पष्टत्वम् 2. अनुसन्धेयत्वम् 3. शोधाप्रबन्धरूपरेखा
4. विमर्शात्मकशोधप्रबन्धस्य, मातृकाधारितशोधप्रबन्धस्य च प्रस्तावे मूलबिन्दवः ।

Unit-III सामग्रीसङ्कलनम् तत्स्रोतांसि तत्पद्धतयश्च

1. प्राथमिकस्रोतांसि – मूलग्रन्थाः, व्याख्याः, पुरातत्त्वाधारः, शिलाशासनानि, शासकीयानि, अभिलेखनानि च।
2. आनुषङ्गिकस्रोतांसि – साहित्येतिहासः, ग्रन्थसूची, शोधपत्रिकाः, कोशाः, लेखनानि च।
3. आधुनिकोपकरणानि – अन्तर्जालम्, जालस्थानानि, ई-शोधपत्रिकाः, ई-कोशाः।
4. विषयविशेषज्ञैः सह सम्पर्कः – मौखिकस्रोतांसि, व्याख्यानानि च।
5. ग्रन्थालयः, ग्रन्थालयप्राप्यप्रयोजनानि, सामग्रयन्वेषणप्रकारश्च।

सामग्रीसङ्कलनपद्धतयः

6. प्रश्नावलिपद्धतिः, साक्षात्कारपद्धतिः, सूचीनिर्माणपद्धतिः इत्यादयः।

Unit-IV शोधप्रबन्धनिर्माणम्, मूलसिद्धान्ताः शोधप्रबन्धप्रस्तुतिश्य

1. शोधप्रबन्धस्वरूपम्, उद्देश्यम्, निर्माणक्रमः, भाषा, लेखनरीतिः।
2. शोधप्रबन्धनिर्माणम्, तत्प्रतिवेदनम्, अन्तिमशोधसंक्षिप्तिकानिर्माणं च।
3. शोधप्रबन्धे – श्लोकसूची, पदसूची अनुशीलितग्रन्थसूची एवमदि।
4. कार्यावसरे ग्रन्थसूचीनिर्माणम्
5. टिप्पणीनिर्माणक्रमः।
6. शोधप्रबन्धरूपरेखानुगमः।
7. उद्धरणनियमाः।

Reference Books

1. आचार्य सत्यनारायण, संस्कृतशोधप्रविधिः, पुरी, 2005।
2. डॉ. नगेन्द्र, अनुसन्धानस्य प्रविधिप्रक्रिया, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली।
3. त्रिपाठी, भागीरथप्रसादः, अनुसन्धानपद्धतिः, सम्पूर्णानन्दग्रन्थमाला, 8, वाराणसी, 1969।
4. त्रिपाठी, रुद्रदेव अन्वेषणविशेषाङ्कः, लालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली, 1976।
5. डॉ. कृष्णलाल, संस्कृत शोध – वैदिक अध्ययन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
1. Anderson, Jonathan, Druston & Poole, Thesis and Assignment Writing, Wiley Eastern Lts., New Delhi, 2002.
2. Dash, K.C., Elements of Reserch Methodology in Sanskrit, Chowkhamba Orientalia, Delhi, 1992.

3. Murthy M. Srimannarayana, Methodology in Indological Research, Bhartiya Vidya Prakashan, Varanasi, 1991.
4. Pual Oliver, Writing your Thesis : Vistaar Publications, New Delhi. 2005.
5. Watson George, The Literary Thesis : A Guide to Research, Oxford University Press, London, 1998.
6. Dawson Catherine, Practical Research Methodology, UBS Publication Distributors, New Delhi, 2002.
7. Kothari C.R., Research Methodology Methods and Technigues, Waley Co. Ltd., New Delhi, 1985.
8. Kumar Ranjit, Rearch Methodology. A step by step Guide for beginners (2nd edn.) Person education, singar, 2005.

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE

प्रथम पत्रम्/Paper-I (Part-a)

अनुसन्धानपद्धतिः/Research Methodology (Educational Research)

(For Education students)

Max. marks - 50

Educational Research Methodology

1. Educational Research
    1. Meaning scope of Educational research
    2. Classification of Educational research
    3. a) Fundamental b) Applied c) Action research
2. Research in Education : Need and Methods
3. Survey of Educational research with special reference to Sanskrit pedagogy.
4. Research Process
   Selection of Topic (Problem) Criterion
5. Collection of Data and topics of research.
6. Analysis and interpretation of data.
    1) Data from primary and secondary source, description of historical research
    2) Sampling Procedure. Administration of Tools
7. Writing research report
    1. Stucture 2. Format 3. Footnotes 4. Citing of reference works as per standard method.
8. Evaluation of research report.

REFERENCE BOOKS

- As per M.ED course syllabus
  Computer Application for Sanskrit Research servay and review of published research.

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE WORK
प्रथम पत्रम्/Paper-I (Part-b)
हस्तलेखशास्त्रम्/Manuscriptology
(Common for all including Education students)

Max. marks – 50

Unit –I मातृका - लेखन - लेखनोपयुक्तानि वस्तूनि

1. मातृकाः - मातृकाणां वैविध्यम् - तालपत्रम् - तल्लक्षणम् - श्रीतालपत्रम् - खरतालपत्रम् - तालपत्रस्य लेखनोपयोगित्वम् - तालपत्रस्य प्राचीनता - तालपत्रे लिखिताः अत्यन्तप्राचीनग्रन्थाः - प्रसिद्धमातृकाग्रन्थालयेषु विद्यमानाः विशिष्टतालपत्रमातृकाः - प्रसिद्धसंस्कृतकाव्येषु तालपत्रस्योल्लेखः।
2. भूर्जपत्रम् - संविधानम् - विशिष्टभूर्जपत्रमातृकाः - प्रसिद्धसंस्कृतकाव्येषु भूर्जजत्रस्य उल्लेखः।
3. कागजपत्राणि - कागजपत्रस्य प्राचीनतम्, लोहपत्राणि, काष्ठफलकम्, शिलाफलकम् इत्यादीनि।

Unit-II मातृकासु लेखनविधिः, लेखकश्च

1. मातृकाः - तासां स्वरूपं तथा आकृतिश्च (Form & size)
2. Pagination – Punctuation – Abbrevation (सङ्केताक्षरणि) colophon (पुष्पिका) etc.
3. लेखकः - लेखकस्य लक्षणानि - प्रसिद्धग्रन्थेषु प्रयुक्तानि लेखकलक्षणानि - प्राचीने आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये च लेखकस्य उल्लेखः - तद्विषयकप्रमाणानि - लेखकस्य विषये प्रसिद्धाः प्राचीनश्लोकाः - लेखनोपकरणानि।

Unit-III लिप्यभ्यासः

लिपीनाम् अभ्यासः - ब्राह्मी, शारदा, प्राचीनदेवनागरीलिपिः, नेवारीलिपिः (ब्राह्मीशारदा-लिप्योः अभ्यासः अनिवार्यः) - ग्रन्थः, नन्दिनागरी, तिगलारी (ग्रन्थ-नन्दिनागरीलिप्योः अभ्यासः अनिवार्यः)

लिप्यन्तरीकरणम्

लिप्यन्तरीकरणं (Transliteration) देवनगरीतः रोमन् लिपितः देवनागर्याम्।

Unit-IV ग्रन्थसूची, मातृकागाराणि, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन्, पत्रिकाश्च

1. सूचीनिर्माणेतिहासः, तत्र नानाविदुषां योगदानम्
2. पत्रात्मकसूची Card Catalogue
3. विवरणत्मकग्रन्थसूची Descriptive Catalogue
4. ग्रन्थसूचीनां सूची Catalogus Catalogorum (CC)
5. नवीना ग्रन्थसूचीनां सूची New Catalogus Catalogorum (NCC)
6. विविधामातृकागाराणां ग्रन्थसूचयः मातृकागाराणि च
7. राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन्, उद्देश्यं कार्यप्रणाली च
8. मातृकासम्बद्धाः (मातृकासङ्ग्रहालयेभ्यः अन्यतश्च प्रकाश्याः) प्रत्रिकाः

Unit-V विशिष्टाः हस्तप्रतिकृतयः तासां परिचयश्च

1. Bakshali Manuscripts (1881)
2. Bower Manuscrips
3. Gilgit Manuscripts
4. Godfrey Manuscripts
5. Horiuzi Manuscripts
6. भूर्जहस्तप्रतिः (Birch-bank Manuscript)
7. आदिपर्वण उपलब्धा प्राचीनतमा हस्तप्रतिकृतिः(The oldest extant manuscript of the Adiparva)
8. पैप्पलादहस्तप्रतिकृतिः

Unit-VI मातृकासङ्ग्रहणं संरक्षणञ्च

1. मातृकासङ्ग्रहणस्येतिहासः, तत्र विदुषां संस्थानानां च योगदानम्।
2. मातृकासंरक्षणम् – संरक्षणस्य आवश्यकता – मातृकाविनाशने कारणानि 7 वातावरणस्थितिः – परिसरप्रभावः कृमिकीटादयः – संरक्षणोपायाः – Fumigation – मातृकायाः सुस्थीकरणम् – (Repair of Manuscripts) तैललेपनम् – इत्यादीनि – मातृकासंरक्षणे प्रसिद्धाः प्राचीनश्लोकाः।
3. मातृकासङ्ग्रहणम् – भारते विद्यमानाः प्रसिद्धमातृकाग्रन्थालयाः, विदेशे विद्यमानः मातृकाग्रन्थालयाः – तथा तेषाम् अध्ययनम्।

Unit-VII समीक्षाग्रन्थसम्पादकानां मातृकासङ्ग्रहीतृणां व्यक्तिवृत्तम्

1. डॉ. श्यामा शास्त्री
2. डॉ. वि. राघवन्
3. मानवल्लित रामकृष्णकवि
4. टि. गणपतिशास्त्री
5. डॉ. के. कृष्णमूर्ति
6. डॉ. के.वि. शर्मा
7. डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी
8. प्रो. अफ्रेच्
9. डॉ. कुञ्जुण्णि राजा

आदर्शग्रन्थसूची

1. आझा, गौरी शंकर हीराचन्द्र, प्राचीनभारतीय लिपिमाला मुशीराम मनोहर लाल, 1993
2. तिक्कू श्रीनाथ, शारदालिपिदीपिका, नई दिल्ली, 1983
3. पुण्यविजय मुनि, भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला, अहमदाबाद, 1936
4. भट्ट, ल.न., भारतीयग्रन्थसम्पादनशास्त्रप्रवेशिनी, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपति, 2002
5. मूले, गुणाकर, भारतीय लिपियों की कहानी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004
6. राही, ईश्वरचन्द्र, लेखनकला का इतिहास (2 खंड), लेखनऊ, 1983
7. शर्मा रामगोपाल, पाण्डुलिपि सम्पादन कला, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 1979
8. सत्येन्द्र, पाण्डुलिपि विज्ञान, राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकाडमी, जयपुर, 1989
9. सरकार, दिनेशचन्द्र, भारतीय पुरालिपि विद्या, दिल्ली, 1996
10. Basu, Ratna et al Aspects of Manuscriptology. The Asiatic Society Kolkata, 2005
11. Bharathi H.L.N., An Introduction to India Textual Criticism and Modern Book Publishing cIIL. Mysore 1988.
12. Basham A.L. wonder that was India, London 1954.
13. Buhler, G. Indian Palaeogeraphy, Munshiram Manohar Lal, New Delhi, 2004.
14. Martin, H.J. On the Origin of Writing, London, 1912.
15. Murthy, Shivaganesha R.S. Introduction Manuscriptology, Sharada Publishing House, New Delhi, 1996.
16. Pandurangi K.T. Wealth of Sanskrit Manuscripts in India & Abroad, Banglore, 1963
17. Preventive Conservation of Manuscripts, Proceedings of a workshop held in September, 2004, Govt. Museum, Chennai and NMM, New Delhi, 2005
18. Raghavan V. Manuscripts, Catalogures & Editions, Bangalore, 1963
19. Sah Anupam, Save Palm Leaf Manuscript Heritage, INTACH, Lucknow, 2001
20. Sasti Shama R. The Origin of Devanagari Alphabet, Bharat Prakasan, Delhi, 1973
21. Thaker, P. Jayant, Manuscriptology and Text Criticism, Oriental Institute Baroda, 2002
22. Mahabharata, Critical edition (Adiparva, vol.-1) BORI, Poona, 1936, edited by V.S. Sukhthankara.
23. Ramayana, Critical edition (Balakanda), edited by Bhatta, Baroda.

Latest Books

शोधप्रविधि एवं पाण्डुलिपिविज्ञान, अभिराजराजेन्द्रमिश्र, अक्षयवट् प्रकाशन, इलाहाबाद।
साहित्यानुसन्धानावबोधप्रविधिः, प्रो. रहसविहारी द्विवेदी।

पत्रिका

1. कृतिरक्षण, राष्ट्रीय पाण्छडुलिपि मिशन, नई दिल्ली (त्रैमासिक पत्रिका) – www.namami.nic.in

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE WORK
द्वितीयं पत्रम्/Paper-II (Part-a)
पाठसमालोचनम्/Textual Criticism
(Only for Shastra students)

Max. marks – 50

Unit –I पाठसमालोचनम्

1. किं नाम पाठसमालोचनम्? पाठवैविध्यम्, पाठपरम्परा च। प्राचीनभारते पाठसमालोचनं विदितमासीत् इति निरूपणम्।
2. पाठसमालोचनायाः मूलसिद्धान्ताः उच्चतरपाठसमालोचनम्–अवरपाठसमालोचनम्–पाठ संतोलनम्–मातृकावंशावलिनिर्माणम्।
3. ह्यूरिस्टिक्स्– मातृकासु अन्तस्सम्बन्धः–पाठप्रामाण्यविवेचनम्
4. पाठसमीक्षापकरणानि–पाठसङ्कलनपत्रे सम्यक् पाठविनिर्णयसिद्धान्ताः च।
5. वेद–पुराण–आगम–इतिहास–व्याकरण–काव्यशास्त्र–काव्य–ग्रन्थानां पाठसमालोचनसिद्धान्ताः।

Unit –II पाठसम्पादनम्

1. लिप्यन्तरणक्रमः [Transcription], पाठसङ्कलनम् [Collation], पाठसङ्कलनक्रमः
2. समीक्षात्मकपाठसम्पादने दिग्दर्शिसिद्धान्तः
3. लेखकदोषा दोषसंशोधनञ्च
4. एकलमातृकया पाठसम्पादनम्, वर्णनात्मकमातृकाणां सम्पादनम्
5. बह्वीभिः मातृकाभिः पाठसम्पादनम्
6. पाठानां पुनर्व्यवस्थापनम् पाठपुनर्व्यवस्थाने व्याकरणस्य छन्दश्शास्त्रस्य च भूमिका
7. दोषसंशोधनम्– कल्पितपाठात् व्याख्येयपाठस्य वरीयस्त्वम्

Unit –III पारिभाषिकपदानि, समीक्षात्कमसंस्करणं च

1. समीक्षात्कमसंस्करणेषु उपयुज्यमानाः पारिभाषिकशब्दाः– Ur-text, colopholn; Marginalia, Sliglum: Stemma Codicum, Archetype; Exemplar. Codex, Copy, Bi-lingual codices: Variant readings; Revisions; Critical Recensions; Dittography, Hplography etc. (See S.M. Katre's Book, Indian Textual Criticsm for a full list) and Sutra. Karika, Bhashya. Tika. Panchika, Nibandha Vyakhya. Vritti. choorni, Avachoorni, Avachoori.
2. पाठान्तराणां निर्देशे पद्धतिः (प्रकाशितसंस्करणेषु)
3. विविधसूचीनां निर्माणम्
4. प्रकाशितसमीक्षात्मकसंस्करणानां मूल्याङ्कनम्

Unit –IV समीक्षात्मकसंस्करणसिद्धान्ताः

1. महाभारतस्य आदिपर्वणः भूमिका (प्रोलेगोमेना)
2. रामायणबालकाण्डस्य भूमिका (बरोडा संस्करणम्)

Unit –V पाठसमालोचनं ग्रन्थसम्पादनञ्च

1. पाठसमालोचनस्य कानिचन मूलतत्त्वानि
2. पाठसमालोचनविषये सुक्तङ्करमहाभागेन भागे सूचिताः मुख्याः सूचनाः
3. एड्गर्टन महाभागेन इति संज्ञके ग्रन्थे उक्ताः पाठान्तरसङ्कलनोपयुक्ताः काश्चन् सूचनाः।
4. मातृकाणां वंशावलीरचनाक्रमः- मूलमातृका-प्रधानमातृकानिर्णये हेतवः
5. मूलपाठनिर्णयः-प्रधानामातृकापाठाम् भेदाः- तिरस्कृतपाठान्तर्गतलिपिकारदोषाः- उपपाठान्तराणि-समानापाठाः पाठान्तरणकारणानि च
6. ग्रन्थसम्पादनोपयुक्तानां कतिपयपारिभाषिकपदानां विवरणम् (Reference S.M. Katre)
7. सङ्कलिपताठव्यस्थापनम् (Heuristics)
8. पाठपरिष्करणम् (Recensio)
9. पाठपरिष्करणे क्लेशाः
10. अवरसमालोचनम्, उच्चतरपाठसमालोचनञ्च
11. ग्रन्थसम्पादने काश्चन प्रायोगिकसूचनाः

Unit –VI हस्तप्रतिकृतिपरम्परागतपाठे दोषकारणानि दोषसंशोधनञ्च

1. चाक्षुष्दोषाः- अक्षरलोपः- अक्षरभ्रान्तिः- स्वरचिह्नानां लोपः (Omission of superscript or serifs) अक्षराणां स्थानव्यत्ययः- वर्णप्रक्षेपः- प्रदभ्रान्तिः- सदृशाक्षरलोपः (Haplography) - पुनरावृत्तिः- अक्षराणां अथवा पदानां वा वियोजनं, योजनम्- प्रतिनिधिकरणम्- - स्थानव्यत्ययः (Tans-Position)
2. पाठभ्रान्तयः तत्परिहारोपायाश्च
3. दोषसंशोधनम्

आदर्शग्रन्थसूची

1. भारतीयग्रन्थसम्पादनशास्त्रप्रवेशिनी, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, विरुपति-2002
2. वृत्तरत्नाकरः, (सं नृसिंहदेवशास्त्री) मेहरचन्द्र लछमनदास नई दिल्ली-1993
3. शर्मा रामगोपालि, पाण्डुलिपि सम्पादन कला, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली-1979
4. सत्येन्द्र, पाण्डुलिपि विज्ञान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर 1989
5. Basu, Ratna et. al Aspects of Manuscriptology. The Asiatic Society Kolkata, 2005
6. Bharathi H.L.N. An Introduction to Indian Textual Criticisim and Modern Book Publishing House, CIIL. Mysore, 1988.

7. Murthy, Shivaganesha R.S. Introduction Manuscriptology, Sharada Publishing House, New Delhi, 1996.
8. Thaker, P. Jayant, Manuscriptology and Text Criticism, Oriental Institute Baroda, 2002.

Reference for Book Publishing:

1. Rao M.N., The Book Publishing Manual, Allied Publishers, New Delhi, 1974.
2. Kaul H.K., Hand Book for Indian authors, Munshiram, New Delhi.
3. Williamson, Hugh. Methods of Bood Design. (Second Edition), Oxford University Press, London
4. Butcher, Juditch, Copy Editing (Cambridge Handbook), Cambridge University Press, 1983.

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE

द्वितीयं पत्रम्/Paper-II (Part-A)

शास्त्रशिक्षणपद्धतिः/Methods of Teaching Shastras

(Only for Education students)

Max. marks – 50

Methods of Teaching Sastras

1. General survey of Ancient Indian Education system (including aastika and nastika viewpoint)
2. Curriculum, methods of teaching of different sastras.
   i. Vedic studies and learning system.
   ii. Upanishads and learning system.
   iii. Darshanas and learning system.
   iv. Vedangas (with special reference to Vyakarana) and learning system.
   v. Sahitya and various learning components like Rara, Chandas, Sanghatana Etc.
3. Application of modern educational methods in teaching sastras.
4. Application of modern educational technological aids in teaching sastras and sastra concepts.

REFERENCE BOOKS

As per latest accession made to Libraries on the Ancient Education System like 'Education in Ancient India' by A.S. Altekar.

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE
द्वितीयं पत्रम्/Paper-II (Part-A)

(Common for all students as per his/her discipline and topic of research)

Max. marks – 50

Survey and Review of Published Research/literature in Relevant field of Research.

Max. marks – 30

Computer Applications for Sanskrit Researchers.

Max. marks – 20

Computer Application for Sanskrit Researchers
Paper – II

Unit-I Fundamental of Computers.

Fundamentals of Computers: Computer definition-Types of Computer-Logical organization of a Computer-Operating systems: Definition, function of an operating system-working with windows: Desktop, File Folder, My Computer, My documents, Recycle bin, Internet Explorer- Windows Explorer-printer printing application.

Unit – II Text Editing

(a) Text editiong in MS-office and Open office-Mangal Font/Unicode Fonts: MS Word: Creating and saving documents-Changing page layout – Formatting tex: Italic, Bold, Underlined- Headers and Footers – Tables.

(b) Power Point presentation in MS-office and open office: Basic-Creating presentations- Menus-Took Bar-Opening a presentation-Creating a new slide Deleting a slide-copying a slide-slide numbering.

(c) Page maker-creating pages-page formatting-Devnagari Fonts and application-Leap office package from C-DAC, IIeap fonts, Devnagari Key board, inscript key layout.

Unit – III Photoshop concepts

(a) Photoshop: Basics-Creating a new file, saving and closing files-working with images and colours: Editing images. Colour Modes, File Formats, Setting the current Foreground and Backround colours, the colour Picker Palette. The Eye-dropper Tool, the Swatches Palette-Manuscript colour correction in digital copies.

Unit-IV Internet concepts and online Sanskrit Resources.

(a) History, Uses of internet, internal service providers-Internet access tools. World wide Web Browsers – Search Enginers – Uniform Ressource Locator (URL) e-mails, Telnt, Usenet.

(b) Online Sanskrit dictionaries, software, software-pacakges. Sanskrit online resources, PDF text, e-books, e-journals.

All the above applications are taught on practical basis and internally assessed.

Reference Book

1. Peter, Norton, ***Introduction to Computers,*** Sixth edition, Tata McGraw Hill, 2009.
2. Ron Manusfield, ***Working in Microsoft Office,*** Tata McGraw Hill, 2008
3. Raymond Green S: ***Fundamental of internet*** and www.Ellen Hepp Tata McGraw Hill edition, Delhi.
4. Comdex ***Desktop publishing course kit*** by Vikas Gupta, Dreamtech Press, New Delhi.

तृतीय पत्र

-(अ) शब्दरूपों का अभ्यास - 40 अंक

शब्दरूप सूची

1. राम, 2. पाद्, 3. गोपा, 4. हरि, 5. सखि, 6. पति, 7. भूपति, 8. सुधी, 9. गुरु, 10. स्वभू, 11. कर्तृ, 12. पितृ, 13. नृ, 14. गो, 15. पयोमुच्, 16. प्राञ्च्, 17. उदञ्च्, 18. वणिज्, 19. भूभृत्, 20. भगवत्, 21. धीमत्, 22. महत्, 23. भवत्, 24. पठत्, 25. यावत्, 26. बुध्, 27. आत्मन्, 28. राजन्, 29. श्वन्, 30. युवन्, 31. वृत्रहन, 32. वृत्रहन्, 32. मधवन्, 33. करिन्, 34. पथिन्, 35. तादृश्, 36. विद्वस्, 37. पुंस्, 38. चन्द्रमस्, 39. श्रेयस्, 40. अनडुह्, 41. रमा, 42. मति, 43. नदि, 44. लक्ष्मी, 45. स्त्री, 46. श्री, 47. धेनु, 48. वधू, 49. स्वसृ, 50. मातृ, 51. नौ, 52. वाच्, 53. स्रज्, 54. सरित्, 55. समिध्, 56. अप्, 57. गिर्, 58. पुर्, 59. दिश्, 60. उपानह्, 61. गृह, 62.

वारि, 63. दधि, 64. अक्षि, 65. अस्थि, 66. मधु, 67. कर्तृ, 68. जगत्, 69. नामन्, 70. शर्मन्, 71. ब्रह्मन्, 72. अहन्, 73. हविष्, 74. धनुष्, 75. पयस्, 76. मनस्, 77. सर्व, 78. विश्व, 79. पूर्व, 80. अन्य, 81. तत्, 82. यत्, 83. एतत्, 84. किम् 85. युष्मद्, 86. अस्मद्, 87. इदम्, 88. अदस्, 89. एक, 90. द्वि, 91. त्रि, 92. चतुर्, 93. पञ्चन्, 94. षष्, 95. सप्तन्, 96. अष्टन्, 97. नवन्, 98. दशन्, 99. कति, 100. उभ।

(आ) धातुरूपों का अभ्यास

धातुरूप सूची **40 अंक**

1. **भ्वादिगण**- 1. भू, 2. हस्, 3. पठ्, 4. रक्ष्, 5. वद्, 6. गम्, 7. दृश्, 8. पा, 9. स्था, 10. घ्रा, 11. सद्, 12. पच्, 13. नम्, 14. स्मृ, 15. जि, 16. श्रु, 17. कृष्, 18. वस्, 18. वस्, 19. त्यज्, 20. सेव्, 21. लभ्, 22. वृध्, 23. मुद्, 24. सह्, 25. वृत्, 26. ईक्ष्, 27. नी, 28. हृ, 29. याच्, 30. वह्।
2. **अदादिगण**- 31. अद्, 32. अस्, 33. इ, 34. रुद्, 35. स्वप्, 36. दुह्, 37. लिह्, 38. हन्, 39. स्तु, 40. या, 41. पा, 42. शास्, 43. विद्, 44. आस्, 45. शी, 46. अधि+इ, 47. ब्रू।
3. **जुहोत्यादिगण**- 48. हु, 49. भी, 50. हा, 51. ह्री, 52. भृ, 53. भा, 54. दा, 55. धा।
4. **दिवादिगण**- 56. दिव्, 57. नृत्, 58. नश्, 59. भ्रम्, 60. श्रम्, 61. सिव्, 62. सो, 63. शो, 64. कुप्, 65. पद्, 66. युध्, 67. जन्।
5. **स्वादिगण**- 68. आप्, 69. शक्, 70. चि, 71. अश्, 72. सु।
6. **तुदादिगण**- 73. इष्, 74. प्रच्छ्, 75. लिख्, 76.स्पृश्, 77. क, 78. गृ, 79. क्षिप्, 80. मृ, 81. तुद्, 82. मुच्।
7. **रुधादिगण**- 83. छिद्, 84. भिद्, 85. हिंस्, 86. भञ्ज्, 87. रुध्, 88. भुज्, 89. युज्।
8. **तनादिगण**- 90. तन्, 91. कृ।
9. **क्रयादिगण**- 92. बन्ध्, 93. मन्थ्, 94. क्री, 95. ग्रह्, 96. ज्ञा।
10. **चुरादिगण**- 97. चुर्, 98. चिन्त्, 99. कथ्, 100. भक्ष्।

प्रत्ययों का अभ्यास

प्रत्यय सूची **20 अंक**

1. क्त, 2. क्तवतु, 3. शतृ, 4. शानच्, 5. तुमुन्, 6. तव्यत्, 7. तृच्, 8. क्त्वा, 9. ल्यप्, 10. ल्युट्, 11. अनीयर्, 12. अञ्, 163. ण्वुल्, 14. क्तिन्, 15. यत्।

सरलमानकसंस्कृतम् (संस्थान द्वारा प्रकाशित) पुस्तक का प्रयोगात्मक अभ्यास।

7.2 षाण्मासिक पूर्वविद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रतिपत्र 50 प्रतिशत अङ्क प्राप्त करने पर ही शोधच्छात्र को उत्तीर्ण माना जायगा। षाण्मासिक पूर्वविद्यावारिधि पाठ्यक्रम में अन्तर्गत एक शोधपत्र संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7.3 यदि कोई शोधच्छात्र उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगामी वर्ष की पूर्वविद्यावारिधि पाठ्यक्रम परीक्षा में एक बार पुनः बैठने का अवसर दिया जायगा। इस स्थिति में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे छात्र को छात्रवृत्ति नहीं दी जायगी। दूसरी बार भी अनुत्तीर्ण होने पर पञ्जीयन स्वतः निरस्त माना जायगा।

8. षाण्मासिक पाठ्यक्रम में प्रतिभागी शोध छात्राओं छात्रवृत्ति

8.1 अध्यापकों, जे.आर.एफ., अध्येतावृत्ति प्राप्त कर रहे शोधार्थियों (पूर्व में विद्यावारिधि/पी-एच.डी. किए हुए एवं पूर्व में जे.आर.एफ./छात्रवृत्ति प्राप्त किये शोधार्थियों को छोड़कर) षाण्मासिक पूर्वविद्यावारिधि पाठ्यक्रम के समय शोध छात्रों को प्रतिपरिसर निर्धारित संख्या के अनुसार वरीयता क्रम से रु. 8000.00/- (आठ हजार मात्र) प्रतिमास छात्रवृति दी जाएगी। इसका आधार सम्बद्ध स्नातकोत्तर परीक्षा का प्राप्ताङ्क होगा। यह छात्रवृति परिसर के सभी शास्त्रीय विषयों में बराबर मात्रा में आबंटित की जायगी। शेष छात्रवृति वर्गानुसार क्रम से अग्रिम वर्षों में आबंटित की जायगी। जैसे यदि 15 छात्रवृति है और चार विभाग है तो प्रति विभाग तीन-तीन छात्रवृत्तियाँ दी जायगी और शेष तीन छात्रवृत्तियाँ रोटेसन से सभी विभागों में बाँटी जायगी। भले ही यह रोटेसन अग्रिम वर्ष में भी जाय।

9. विद्यावारिधि पाठ्यक्रम की अवधि एवं पुनः पंजीकरण

9.1 विद्यावारिधि (पी-एच.डी) पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम तीन वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी सम्मिलित होगा तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।

9.2 महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हें पी-एच.डी. के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थिओं को एम.फिल. /पी-एच.डी की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

9.3 शोधार्थी को छः वर्ष की अवधि में शोधप्रबन्ध जमा कराना होगा। इस अवधि में शोधप्रबन्ध जमा न करा पाने पर निर्धारित अवधि में शोधार्थी शुल्क रू. 20,000/- देकर पुनः पञ्जीकरण करा सकते है जिसकी अवधि एक वर्ष होगी। पुनः पञ्जीकरण की एक वर्ष की अवधि में शोधप्रबन्ध जमा करना अनिवार्य होगा। यदि इसमें भी शोधार्थी असफल रहता है तब उसका पञ्जीकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा। इसके अनन्तर पुनः पंजीकरण नहीं होगा।

9.4 जो शोधच्छात्र तीन वर्ष की अवधि में 50 प्रतिशत अपना शोधकार्य पूर्ण नहीं करेगा उसका पञ्जीकरण मार्गदर्शक की अनुशंसा पर निरस्त किया जायेगा। पुनः शोधकार्य करने हेतु रू. 5,000/- देकर पुनः पञ्जीकरण करना होगा, यह पंजीयन 03 वर्ष तक वैध होगा। इस प्रकार के प्रकरण में शोधार्थी का शोध का समय 3+3=6 वर्ष ही होगा। प्रथम तीन वर्ष पूर्ण होने पर पुनः पंजीकरण के मध्य जो समय होगा वह भी छह वर्ष में गणना की जायगी।

9.5 षाण्मासिक पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक कर प्रतिपत्र 50 प्रतिशत अङ्क प्राप्त करने के बाद यदि किसी शोधच्छात्र को नौकरी मिलती है तो उन्हें अपने नियोक्ता के द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर इस शर्त पर

अशंकालिक रूप से विद्यावारिधि करने की अनुमति दी जा सकेगी कि वे प्रति 06 माह में स्थानीय शोध अध्ययन समिति की बैठक में अपने शोधकार्य की प्रगति विवरण से उन्हें अवगत कराएगें। यदि स्थानीय शोध अध्ययन समिति कार्य से असन्तुष्ट होता है या शोधच्छात्र स्थानीय शोध कार्य की प्रगति शोध अध्ययन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो तत्काल प्रभाव से पञ्जीयन निरस्त माना जायगा। लेकिन शोधच्छात्र की गम्भीर अस्वस्थता की स्थिति में (चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर) मार्गदर्शक के द्वारा शोध कार्य की प्रगति शोध अध्ययन समिति के समक्ष उपस्थापित करने की छूट होगी।

9.6 विद्यावारिधि में नियमित शोधच्छात्र पञ्जीयन और शोधप्रबन्ध समर्पण के मध्य किसी भी विश्वविद्यालय/संस्था/बोर्ड से नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन/परीक्षा की अनुमति नहीं दी जायगी। इस अवधि डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम (अधिकतम एक वर्ष तक) शोधच्छात्र कर सकते है।

10. स्थानीय शोध समिति

10.1 (क) विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों के शोध विषय का निर्धारण स्थानीय शोध समिति द्वारा किया जायेगा। स्थानीय शोध समिति केन्द्रीय ग्रंथालय में शोध के लिये आवश्यक ग्रंथों एवं शोध पत्रिकाओं आदि की उपलब्धता, पंजीकृत शोध छात्रों की नियमित उपस्थिति के प्रति सजग रहेगी। स्थानीय शोध समिति केन्द्रीय शोध समिति/कुलपति के निर्देशानुसार अन्य दायित्वों का भी निर्वहण करेगी।

स्थानीय शोध समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:

परिसर हेतु			**मुख्यालय हेतु**		
परिसर प्राचार्य	–	अध्यक्ष	वरिष्ठ आचार्य	–	अध्यक्ष
सम्बद्ध विभागाध्यक्ष	–	सदस्य	परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य
एक बाह्य पर्यवेक्षक	–	सदस्य	निदेशक मुक्त स्वाध्याय पीठ	–	सदस्य
मार्गदर्शक	–	सदस्य	उपनिदेशक शैक्षणिक	–	सदस्य
शोध प्रभारी	–	संयोजक	एक बाह्य पर्यवेक्षक	–	सदस्य
			मार्गदर्शक	–	सदस्य
			प्रभारी, शोध एवं प्रकाशन	–	संयोजक

(शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए उक्ते बैठक में शोधच्छात्र के प्रस्तुतीकरण में परिसर/मुख्यालय के सभी शैक्षणिक वर्ग एवं शोधच्छात्र भाग ले सकते है)

10.1 (ब) **स्थानीय शोध समिति का कार्य**

- शोध योजना की गुणवत्ता वृद्धि के लिए प्रारूप निर्माण एवं क्रियान्वयन करना ।
- राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान का शोध लक्ष्य का निरीक्षण करना एवं गुणवत्ता शोध कार्य कराने के लिए नीतियाँ बनाना ।
- सम्बंधित परिसर/मुख्यालय में शोध की गुणवत्ता बनाए रखना एवं अनुसंधान के वातावरण का निर्माण तथा निरीक्षण करना ।

- राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय स्तर पर अनुसंधान में हुए बदलाव एवं सुधार के साथ नई नीति के बारे में केन्द्रीय शोध मण्डल को सलाह एवं सुझाव प्रदान करना।
- शोध एवं शोध के संबंधित कार्य सम्पादन के लिए आबंटित धनराशि को निर्धारित नियमानुसार उपयोग करना।
- केन्द्रीय शोध मण्डल द्वारा स्वीकृति के लिए पर्यवेक्षक द्वारा अनुशंसित अनुसंधान अध्ययन के प्रस्तावों पर विचार करना और उनको यथारूप कार्यान्वय में लाना।

11. केन्द्रीय शोध मण्डल

प्रत्येक शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव का पर्यवेक्षण, साक्षात्कार के माध्यम से शोधार्थी के उपस्थापन का परीक्षण एवं शोध कार्य हेतु पंजीयन की संस्तुति शोध-मण्डल द्वारा की जायेगी, जिसका गठन निम्नलिखित सदस्यों से युक्त होगा:-

1. कुलपति	-	अध्यक्ष
2. कुलसचिव	-	सदस्य
3. कुलपति द्वारा नामित एक वरिष्ठ आचार्य	-	सदस्य
4. ----------	-	सदस्य
5. ----------	-	सदस्य
6. ----------	-	सदस्य
(कुलपति द्वारा मनोनीत तीन बाह्य विशेषज्ञ विद्वान)		
7. परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
8. उपनिदेशक शैक्षणिक	-	सदस्य
9. प्रभारी, शोध एवं प्रकाशन	-	सदस्य सचिव

- कुलपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति शोध-मण्डल के उपवेशन की अध्यक्षता कर सकेगा।
- प्रतिवर्ष शोध मण्डल की एक बैठक अनिवार्य होगी। कुलपति की अनुमति से आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैठकें आहूत की जा सकेंगी ।
- शोध मण्डल की बैठक में कम से कम 5 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
- शोध में गुणवत्ता आनयन हेतु एवं सुधार हेतु तथा षाण्मासिक पाठ्यक्रम संचालन हेतु नीतियां बनाना ।
- प्रस्तावित शोध योजना की गुणवत्ता का परीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि शोधार्थी का प्रस्तावित विषय कार्ययोजना स्तरीय शोध के लिये योग्य है या नहीं।
- यदि शोध-विषय अनुरूप नहीं है तो विषय में संशोधन हेतु सुझाव देना।
- संस्थान में अनुसंधान के नये आयामों एवं सम्भावनाओं के सम्बन्ध में नीतियों की स्थापना करना और क्रियान्वय हेतु निर्णय लेना।
- कुलपति की अनुमति से अन्य सम्बंधित विषय शोध मण्डल के सदस्य/सचिव द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है ।

- प्रस्तावित शोध विषय एवं शोध निर्देशक की संस्तुति, शोध-निर्देशक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, पी-एच. डी. शोधार्थियों की संख्या, विषय में परिवर्तन आदि की संस्तुति करेगा।

12. शोध निर्देशक एवं पर्यवेक्षक

12.1 शोध निर्देशक की नियुक्ति में स्वीकृति के लिए निम्नलिखित अर्हता उपेक्षित है:-
साक्षात् सम्बद्ध अथवा अंत: शास्त्रीय रूप से सम्बद्ध का विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त प्राध्यापक, स्नातकोत्तर का शिक्षण अनुभव।

12.2 अन्त: शास्त्रीय विषय में सह-निर्देशक भी स्वीकृत किए जा सकेंगे। सह शोध निर्देशक संस्थान या अन्य विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों/उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के आचार्य हो सकते हैं।

12.3 संस्थान में नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पाँच शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और संस्थान में कार्यरत कोई भी नियमित सह/सहायक आचार्य जो पी-एच. डी उपाधि धारक हों तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशित किए गए हों उसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है यदि वह उन क्षेत्रों/विधाओं में जहाँ कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हो अथवा केवल सीमित संख्या में संदर्भित पत्रिका हो, तो विभागीय शोध समिति की संस्तुति पर संस्थान का केन्द्रीय शोध मण्डल किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

12.4 केवल संस्थान के पूर्णकालिक शिक्षक ही शोध/पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। विद्यावारिधि पीएच.डी. उपाधि सहित न्यूनतम तीन वर्षों का नियमित सहायक आचार्य के रूप में अनुभव अनिवार्य होगा। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है, तथापि संस्थान के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबद्ध संस्थानों से अंतर-विषयी क्षेत्रों में सह-पर्यवेक्षकों को केन्द्रीय शोध मण्डल के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

12.5 किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध निर्देशक के निर्धारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा शोध पर्यवेक्षक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा विद्वानों की रुचि के आधार पर संस्तुति प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में संस्थान के शोध मण्डल द्वारा विचार किया जा सकता है। शोध मण्डल की संस्तुति के आधार पर कुलपति द्वारा, जैसा कि सम्बन्धित विद्वान् अपने साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, निर्णय लिया जाएगा।

12.6 किसी एक समय में कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध निर्देशिक (पर्यवेक्षक)/सह निर्देशक के रूप में आठ (08) पीएच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। कोई भी सह आचार्य, शोध निर्देशक के रूप में अधिकतम छ: (06) पीएच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध निर्देशक (पर्यवेक्षक) के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम चार (04) पीएच.डी. शोधार्थियों को शोध निर्देशन प्रदान कर सकता है ।

12.7 विवाह अथवा किसी कारण से किसी पीएच.डी महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आँकडों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहाँ शोधार्थी पुन: जाना चाहे बशर्ते कि इन नियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दश: पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल

संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो, तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

12.8 शोधनिर्देशक के स्थानान्तरण/सेवामुक्ति/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में शोध निर्देशक परिवर्तन की आवश्यकता होने पर छात्र प्राचार्य/स्थानीय शोध समिति के निर्देश और कुलपति की अनुमति से निश्चित शोध निर्देशक के अधीन शोध कार्य करेगा। शोध कार्य पूर्ण होने पर दुर्भाग्यवश निर्देशक की मृत्यु की स्थिति में विभागीय शोध समिति के माध्यम से अनुमति लेकर नियमानुसार छात्र शोध प्रबन्ध प्राचार्य/स्थानीय शोध के निर्देशन में जमा कर सकते है। ऐसे शोध छात्र की गणना निर्देशक के लिए निर्धारित शोध छात्रों की संख्या में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

13. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्य (अर्हता, अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्य विवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि)

13.1 पी-एच.डी. पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट प्रदान किये जाएंगे।

13.2 पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य को पी-एच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे, जिसमें शास्त्रीय शोध पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध सम्बंधी आधार तथा संगत क्षेत्रों में प्रकाशित शोध की समीक्षा आदि सम्मिलित हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को पीएच.डी. के लिए तैयार करने होंगे।

13.3 पीएच.डी के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन सम्बंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा।

13.4 पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त सभी छात्रों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

13.5 शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में ग्रेड को शोध समीक्षा/सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किये जाने के बाद अंतिम रूप दिया जायेगा।

13.6 किसी पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा, जिससे वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिये पात्र हो तथा उसे निर्धारित नियमानुसार शोध प्रबन्ध जमा करना होगा।

14. शोध समीक्षा समिति/शोध सलाहकार समिति तथा इसके प्रकार्यः

14.1 शोध समीक्षा/सलाहकार समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से युक्त होगा:

परिसर हेतु			**मुख्यालय हेतु**		
परिसर प्राचार्य	–	अध्यक्ष	वरिष्ठतम आचार्य	–	अध्यक्ष
समस्त विभागाध्यक्ष	–	सदस्य	परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य
बाह्य विषय विशेषज्ञ	–	सदस्य	निदेशक मुक्त स्वाध्याय पीठ	–	सदस्य
(कुलपति द्वारा नामित)			उपनिदेशक शैक्षणिक	–	सदस्य

मार्गदर्शक	–	सदस्य	बाह्य विषय विशेषज्ञ	–	सदस्य
शोध प्रभारी	–	संयोजक	(कुलपति द्वारा नामित)		
			मार्गदर्शक	–	सदस्य
			प्रभारी, शोध एवं प्रकाशन	–	संयोजक

- शोध समीक्षा समिति, शोध छात्रों के शोध की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और प्रत्येक शोध छात्र के शोध कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रति 6 मास पर करेगी। विभागीय शोध समीक्षा समिति की संस्तुति के उपरान्त ही शोध छात्र का षाण्मासिक प्रगति विवरण स्वीकार किया जाएगा और छात्रवृत्ति प्राप्त करने की संस्तुति की जायेगी।
- शोध छात्र के द्वारा शोध कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने पर शोध समीक्षा समिति द्वारा सम्बन्धित शोध कार्य की पूर्ति हेतु न्यूनतम विगत तीन वर्ष के शोध कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा। शोध समीक्षा समिति शोध छात्र द्वारा किये गये शोध कार्य का सर्वांगीण परीक्षण करने के उपरान्त शोध की गुणवत्ता, उसकी वस्तुनिष्ठता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन की स्थिति आदि की समीक्षा कर अपनी संस्तुति प्रदान करेगी।
- प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में समीक्षा/सलाहकार समिति की दो बैठकें आयोजित की जाएंगी।

14.2 शोधार्थी को अध्ययन ढाँचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम की पहचान कराना।

14.3 शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना करना तथा प्रगति में सहायता करना।

14.4 शोधार्थी छः माह में एक बार शोध समीक्षा/सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के सम्बंध में पी.पी.टी/मौखिक एक प्रस्तुति देनी होगी। शोध सलाहकार समिति द्वारा षाण्मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रति उसकी पत्रावली में, एक प्रति सम्बन्धित विभाग को तथा एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी।

14.5 यदि शोधार्थी की प्रगति अंसतोषजनक है तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारण का उल्लेख करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध समीक्षा/सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण प्रस्तुत करते हुये कुलपति को संस्तुति कर सकती है।

14.6 शोधप्रबन्ध के मानक जैसे यूनिकोड में टाइप होना, परिशिष्ट में शोध पत्रों की उपलब्धता, शोध प्रबंध के आरंभ निर्धारित मानक के अनुसार प्रमाण पत्रों की उपलब्धता, शोध छात्र का शोध प्रबंध की मौलिकता का प्रमाण पत्र एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों इत्यादि का अवलोकन करके प्रमाण पत्र निर्गत करना।

शोध प्रस्ताव का प्रारूप

षाण्मासिक पूर्व विद्यावारिधि परीक्षा के पश्चात् अधिकतम 30 दिन की अवधि में शोध प्रारूप स्थानीय शोध अध्ययन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उस पर निर्धारित अवधि में केन्द्रीय शोध अध्ययन मण्डल द्वारा विचार किया जाएगा।

निम्नलिखित विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा -

1. प्रस्तावना, 2. प्रयोजन, 3. औचित्य, 4. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 5. सर्वेक्षण, 6. शोध प्रविधि, 7. प्राक्कल्पना, 8. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

   क्रम सं. ग्रन्थ नाम लेखक/संपादक प्रकाशन प्रकाशन वर्ष

   यदि शोध-विषय पाण्डुलिपि संपादन से सम्बद्ध हो तो पाण्डुलिपि की भाषा, लिपि, पत्र संख्या, अक्षर, पंक्ति, पूर्ण/अपूर्ण, त्रुटि, आकार, काल-निर्धारण, पाण्डुलिपि प्राप्ति, प्राप्ति के सम्भावित स्रोत आदि का उल्लेख आवश्यक है।

2. शोधप्रारूप प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उक्त शोधप्रारूपों को केन्द्रीय शोध अध्ययन मण्डल के लिए परिसर द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

15. उपाधि आदि प्रदान करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियाँ, न्यूनतम मानदंड

15.1 शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व, शोधार्थी संस्थान की शोध समीक्षा/सलाहकार समिति के समक्ष पी.पी.टी. /मौखिक प्रस्तुति देगा, जिसमें मुख्यालय परिसर के सभी सदस्य गण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित हो सकते है। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध समीक्षा/सलाहकार समिति के परामर्श से अनुरूप सामग्री शोध प्रबंध में उपयुक्त रूप से शामिल की जायेगी।

15.2 मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध प्रबन्ध जमा करने से पूर्व शोधार्थी किसी राष्ट्रिय या अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन/संगोष्ठी में न्यूनतम एक (01) शोध पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पीएच.डी. शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में न्यूनतम दो शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करेगा तथा इनके सम्बंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र अथवा पुनर्मुद्रण के रूप में साक्ष्य शोध प्रबन्ध के परिशिष्ट भाग में संलग्न किया जाएगा।

15.3 सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा सम्बन्धी छल-कपट का पता लगाने हेतु संस्थान द्वारा गठित शोध समीक्षा समिति द्वारा परीक्षण कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी। शोध प्रबंध को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा शोध पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिससें यू.जी.सी मानदंड के अनुरूप यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15.4 पंजीकरण के 36 माह पश्चात् किसी भी समय शोधच्छात्र शोध-प्रबन्ध का सार प्रस्तुत करने के लिए परिसर के प्राचार्य को शोधनिर्देशक की संस्तुति से प्रार्थना पत्र दे सकता है। प्राचार्य निश्चित तिथि को विशिष्ट

समिति का उपावेशन कर संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। जिसमें छात्र शोधसारांश प्रस्तुत करेगा, जिसकी समीक्षा के पश्चात् समिति शोध-प्रबन्ध जमा करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे। शोध-सारांश की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर शोध-प्रबन्ध जमा किया जाना आवश्यक होगा। शोध-सारांश की टंकित तीन प्रतियाँ परीक्षणार्थ शोधप्रबन्ध जमा करने से तीन माह पूर्व प्राचार्य एवं मार्गदर्शक के पास जमा करें जिसे प्राचार्य अग्रिम सूचना एवं कार्यवाही के लिए मुख्यालय परीक्षा अथवा शोध प्रकाशन विभाग को भेजेंगे।

15.5 शोधप्रबन्ध की भाषा संस्कृत होगी, जिसे केवल यूनिकोड देवनागरी में लिपिबद्ध किया जा सकेगा।

15.6 शोधप्रबन्ध के प्रत्येक पृष्ठ पर कुल 18 पंक्तियाँ होगी तथा पृष्ठ के दोनों ओर (left and right) मुद्रण अनिवार्य होगा।

15.7 शोधप्रारूप-निर्माणसम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार ही शोधप्रबन्ध प्रस्तुत होना चाहिए। सामान्यतः स्वीकृत शोधप्रारूप के आलोक में शोधार्थी को शोध-प्रबन्ध तैयार करना चाहिए। यदि प्रारूप में परिवर्तन किया गया है, तो सकारण विवरण देना होगा।

15.8 शोधनिर्देशक शोधप्रबन्ध को प्रमाणित करते हुए यह उल्लेख करेंगे कि यह शोधप्रबन्ध शोधच्छात्र का मौलिक कार्य है और शोधार्थी ने नियमानुसार आवश्यक अवधि तक उसके निर्देशत्व में शोध कार्य किया है।

15.9 शोध समीक्षा समिति/शोध सलाहकार समिति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

15.10 शोधार्थी राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क परिसर में जमा करेगा। साथ ही परिसर से सम्बन्धित विभागों (पुस्तकालय, संग्रहालय, क्रीडा, छात्रावास आदि) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र कर परिसर कार्यालय में जमा करेगा।

16. मूल्यांकन के लिए शोध-प्रबन्ध के साथ प्रेषण

16.1 तीन शोधप्रबन्ध (चार सी.डी. के साथ)।

16.2 रू. 3000.00 (रु. तीन हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट (राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली) के पक्ष में देय हो।

16.3 छात्र का पूर्ण विवरण (फार्म के अनुसार)।

16.4 प्राचार्य द्वारा सत्यापन एवं अग्रसारण प्रपत्र।

16.5 यूनिकोड माध्यम से शोध टंकण करना होगा एवं एक शोध प्रबन्ध की सी.डी. भी जमा करना होगा।

17. परीक्षकों की नियुक्ति

17.1 शोधछात्र द्वारा शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करने के पश्चात् शोधनिर्देशक नौ विषय-विशेषज्ञों के नाम पूर्ण विवरण के साथ प्राचार्य के माध्यम से परीक्षा अथवा शोध विभाग राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली को परीक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रेषित करेंगे। परिसर के प्राचार्य/संकाय प्रमुख भी सम्बद्ध विषय के छह विषय-विशेषज्ञों के नाम निर्धारित-प्रपत्र पर पूर्ण संकेत के साथ राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नई दिल्ली को प्रेषित करेंगे। कुलपति, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) अपने विवेक से उक्त नाम से किन्हीं दो विशेषज्ञों को मूल्यांकन हेतु परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं। उक्त नाम के अतिरिक्त भी कुलपति अपनी

इच्छा से किसी अन्य विषय-विशेषज्ञ को परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं। शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिये परीक्षकों की संस्तुति कुलपति, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा की जायेगी। परीक्षा अनुभाग निर्दिष्ट परीक्षक को सूचित करेगा कि वह तीन माह के भीतर शोध प्रबन्ध से सम्बद्ध रिपोर्ट भेज दें।

17.2 शोधप्रबन्ध के परीक्षा सम्बन्धी निर्देश के सम्बन्ध में प्रत्येक शोध-प्रबन्ध-परीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि यह अपना प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में अपनी संस्तुति के साथ निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित स्पष्ट टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए स्वतन्त्र रूप से भी प्रस्तुत करें :-

(क) शोधप्रबन्ध विद्यावारिधि उपाधि योग्य है।

(ख) शोधप्रबन्ध विद्यावारिधि उपाधि योग्य नहीं है।

(ग) शोधप्रबन्ध निर्देशित स्थलों/अध्यायों में/पूर्णरूप से संशोधन के योग्य है।

(घ) शोधप्रबन्ध विद्यावारिधि उपाधि योग्य है प्रकाशन के योग्य नहीं है।

परीक्षक के लिए अनिवार्य है कि वह अपनी संस्तुति के आधारभूत कारणों का विवरण प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित करें।

17.3 परीक्षकों के द्वारा विद्यावारिधि उपाधि के लिए संस्तुति प्राप्त होने के छह: माह के अंदर परीक्षाविभाग शोधार्थी की वाक्-परीक्षा का आयोजन सम्बन्धित परिसर/मुख्यालय में करेगा। आवश्यकतानुसार कुलपति महोदय की स्वीकृति से अन्यत्र भी आयोजन किया जा सकता है।

17.4 शोध सलाहकार समिति के समक्ष वाक्-परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें शैक्षिणिक अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से परीक्षक सन्तुष्ट नहीं होता, तो छ: माह के भीतर पुन: वाक्-परीक्षा के लिए निर्देश दे सकता है। मुख्य वाक्-परीक्षक का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। यदि परीक्षक दूसरी बार भी परीक्षार्थी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होता तो शोधछात्र को विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त करने के योग्य नहीं माना जायेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

18. शोधछात्रों के लिए विशेष निर्देश

18.1 अन्त: शास्त्रीय सम्बन्ध वाले विषय में शोध कार्य करने के लिए सम्बद्ध विषयों के मार्गदर्शक होंगे।

18.2 अन्त: शास्त्रीय सम्बन्ध वाले शोध विषयों के लिए संस्थान से बाहर के तुल्ययोग्यताधारी विद्वान् भी अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ सह-मार्गनिर्देशक नियुक्त हो सकेंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक भार संस्थान वहन नहीं करेगा।

18.3 केन्द्रीय शोध अध्ययन मण्डल द्वारा शोध प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर केन्द्रीय शोध मण्डल की अग्रिम प्रथम बैठक में एक बार पुन: शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा फिर भी यदि शोध प्रस्ताव अस्वीकृत होता है तो पञ्जीयन स्वत: निरस्त माना जायगा।

18.4 सभी पूर्णकालिक शोधच्छात्रों को सप्ताह में 05 घण्टे सम्बद्ध परिसर में अध्यापन करना अनिवार्य होगा।

18.5 प्रति वर्ष शोधेकार्य से सम्बन्धित एक शोधपत्र संस्कृत भाषा में लिखना अनिवार्य होगा।

18.6. छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए अन्य योग्यताओं के साथ 75 प्रतिशत प्रतिमास उपस्थिति एवं उत्तम आचरण भी अनिवार्य होगा।

18.7. संस्थान द्वारा निर्धारित परिसर में ही शोधकार्य करना अनिवार्य होगा।

18.8. मार्गदर्शक के स्थानान्तरण होने पर परिसर परिवर्तन किया जा सकेगा। मार्गदर्शक के साथ शोधच्छात्र के स्थानान्तरण होने पर परिसर की वह छात्रवृत्ति भी शोधच्छात्र के साथ स्थानान्तरित मानी जायगी।

18.9 मार्गदर्शक के स्थानान्तरण होने पर छात्र चाहे तो मार्गदर्शक की सहमति से उसी परिसर में सह-मार्गनिर्देशक बनाने के लिए निवेदन कर सकता है। मार्गदर्शक की सेवानिवृत्ति होने पर भी मार्ग दर्शक यदि चाहें तो वे मार्गदर्शक बने रह सकते हैं। इसके लिए परिसर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं करेगा।

18.10 18 महीनों से पूर्व ही मार्गदर्शक-परिवर्तन किया जा सकता है। मार्गनिर्देशक-परिवर्तन को अधिकार इस शर्त के साथ होगा कि मुक्त करने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों मार्गदर्शकों की अनापत्ति हो।

18.11 मार्गदर्शक का परिवर्तन स्थानीय शोध अध्ययन समिति की अनुशंसा पर केन्द्रीय शोध अध्ययन मण्डल द्वारा किया जा सकेगा।

18.12 शोधछात्रों के लिए वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का अवकाश मान्य होगा। साथ ही 60 दिनों का शैक्षिक अवकाश भी मान्य होगा। इनके अतिरिक्त अन्य अवकाश मान्य नही होंगे। महिलाओं के लिए उक्त अवकाश के अतिरिक्त 240 दिनों का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश सम्पूर्ण शोध अवधि में एक बार छात्रवृत्ति सहित मान्य होगा। उक्त अवधि में भी शोधप्रगति स्थानीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

18.13 शोध अवधि में शोधकार्य के लिए शोधच्छात्र किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा पुस्तकालय अथवा संस्था में निर्देशक की प्रस्तुति तथा प्राचार्य की अनुमति से जा सकते हैं। संस्थान मुख्यालय के शोध छात्र निर्देशक की संस्तुति तथा शोध एवं प्रकाशन विभाग के प्रमुख की अनुमति से जो सकते हैं, इस अवधि की गणना भी शैक्षिक अवकाश में होगी। इस अवधि में उनकी उपस्थिति मानी जायेगी।

18.14 परिसर द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों, व्याख्यानमालाओं आदि में नियमित शोधच्छात्र की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

18.15 प्रत्येक शोधच्छात्र को अपनी शोध अवधि के प्रत्येक वर्ष में शोध-विषय से सम्बन्धित कम से कम दो शोधपत्र परिसर की शोधसंगोष्ठी में प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

18.16 शोधप्रबन्ध समर्पण से न्यूनतम 90 दिन पूर्व शोधप्रबन्ध का समर्पण पूर्व प्रस्तुत परिसरीय समित्ति के समक्ष करनी होगी। परिसरीय समिति में मार्गदर्शक, सभी स्थानीय विभागाध्यक्ष, प्राचार्य और शोधच्छात्र सम्मिलित होंगे।

18.17 संस्थान में जिन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन होता है उन विषयों के साथ और अन्त: शास्त्रीय सम्बद्ध विषयों में 5.1 में दर्शित आधारभूत शास्त्रों में ही शोधोपाधि हेतु पञ्जीयन होगा।

18.18 शोध प्रबन्ध समर्पण से न्यूनतम 90 दिन पूर्व मार्गदर्शक, स्थानीय सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और प्राचार्य की समिति द्वारा सम्बद्ध विषयक 6 सहचार्य/आचार्य या तत्समकक्ष पदधारी शिक्षकों का नाम कुलपति को प्रेषित किया जायगा जिनमें कुलपति द्वारा किन्हीं तीन को परीक्षक नियुक्त किया जाएगा।

18.19 संस्थान से शोधप्रबन्ध निर्गमतिथि से अधिकतम 60 दिनों के अंदर शोधप्रबन्धपरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में परीक्षक की नियुक्ति स्वत: निरस्त मानी जायगी और परिसर से प्रेषित परीक्षकों के पैनल से कुलपति द्वारा अन्य परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

18.20 तीन में से दो परीक्षकों की अनुकूल अनुशंसा पर मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा।

18.21 मौखिक परीक्षा/मुख्यालय/सम्बद्ध परिसर में आयोजित होगी। जिसमें मार्गदर्शक संयोजक होंगे और परिसर के प्राचार्य, उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ आचार्य और स्थानीय विभागाध्यक्ष उपस्थित रहेंगें। चूँकि मौखिकी सार्वजनिक है अत: छात्रों और अध्यापकों को भी मौखिकी परीक्षा के समय यथासंभव उपस्थित होने के लिए सूचना पट्ट पर सूचना दी जाएगी।

18.22 मार्गदर्शक की अनुपस्थिति में स्थानीय विभागाध्यक्ष संयोजक का कार्य करेंगें।

18.23 मौखिकी परीक्षा में असफल होने पर 06 महीने के अन्दर पुन: मौखिकी परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। फिर भी असफल होने पर विद्यावारिधि शोधप्रबन्ध की समस्त प्रक्रिया निरस्त मानी जायगी।

शोधकार्य प्रगति का मानक एवं अवधि-

षाण्मासिक-75% कार्य, पंचम षाण्मासिक-100% कार्य, षष्ठ षाण्मासिक से अंतिम षाण्मासिक तक टंकण एवं प्राक् - समपर्ण आदि। प्रति छ: महीने में स्थानीय शोध समिति की बैठक आहूत करना और शोध प्रगति की समीक्षा करना परिसर का दायित्व होगा। संस्थान मुख्यालय से इस कार्य के लिए पृथक् से किसी प्रकार का निर्देश न होने पर समय-समय पर समीक्षा करना परिसर का दायित्व होगा। संस्थान मुख्यालय से इस कार्य के लिए पृथक् से किसी प्रकार की सूचना आदि निर्गत नहीं होगी। स्थानीय शोध अध्ययन समिति प्रति छ: माह में नियमित/व्यक्तिगत/छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले/बिना छात्रवृत्ति के शोध कार्य करने वाले सभी के शोधकार्यों की समीक्षा करेगी और कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा कर सकती है।

19. विद्यावारिधि शोध छात्रवृत्ति

19.1 शोधच्छावृत्ति की स्वीकृति स्थानीय शोध अध्ययन समिति द्वारा मात्र 03 वर्षों के लिए की जाएगी। प्रगति सन्तोषजनक होने की स्थिति में स्थानीय शोध अध्ययन समिति द्वारा 06-06 महीनों की अवधि वृद्धि की जाएगी। छात्रवृत्ति की अधिकतम अवधि चार वर्षों तक होगी, इसमें षाण्मासिक शोध-प्रविधि पाठ्यक्रम का समय भी गिना जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र प्रतिमाह 7 तारीख तक प्रगति मार्गदर्शक की अनुशंसा और विभागाध्यक्ष के अग्रसारण के साथ परिसर कार्यालय में प्रस्तुत करने के दिनांक से 30 दिनों के अंदर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।

19.2 सांयोगिक राशि की अवधि तीन वर्षों तक होगी। इसमें षाण्मासिक शोध-प्रविधि पाठ्यक्रम का समय भी गिना जाएगा। सांयोगिक धनराशि छात्र द्वारा प्रस्तुत व्यय-विवरण के आधार पर प्रदान की जायेगी। शोधच्छात्र यह धनराशि पुस्तक-क्रय, शोध-सम्बन्धी यात्रा, लेखन तथा टंकण सम्बन्धी कार्यों में व्यय कर सकता है।

19.3 पूर्णकालिक शोधार्थी को रू. 8000/- (आठ हजार) प्रति माह छात्रवृत्ति तथा रू.10000/- (दस हजार) प्रति वर्ष सांयोगिक राशि दी जायेगी।

19.4 पूर्णकालिक शोधच्छात्र की प्रत्येक माह में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। सेवारत शोधार्थी के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता मात्र षाण्मासिक पाठ्यक्रम के लिए होगी।

19.5 प्रति परिसर प्रतिवर्ष 30 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी इस हेतु भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। छात्रवृत्ति का निर्धारण आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) में प्राप्तांक के वरीयता के आधार पर प्रदान की जायगी।

19.6 छात्रवृत्ति का विभाजन तुल्यसंख्या में विभाग के अनुसार किया जाएगा ताकि सभी विषयों/विभागों का संरक्षण हो सके।

19.7 शोध प्रबन्ध समर्पण के साथ शोधप्रबन्ध की डी.वी.डी शोध प्रबन्ध के साथ प्रेषित करना अनिवार्य होगा जिसे संस्थान के वेबसाईट पर स्थापित किया जा सकेगा।

19.8 सुरक्षित धनराशि (पुस्तकालय प्रतिभूति शुल्क)

(क) यदि प्रवेश प्राप्त छात्र संस्थान परिसर छोड़कर जाता है तो उसे सुरक्षित धनराशि के अतिरिक्त लिया गया कोई भी शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

(ख) सुरक्षित धनराशि विद्यावारिधि उपाधि प्राप्ति होने पर ही लौटायी जायेगी।

20. विद्यावारिधि प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रमाणपत्र

1. पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाओं की उत्तीर्णता के विषय में विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक या तत्समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र) जिसमें जन्म तिथि भी प्रमाणित की गई हो।
3. चरित्र प्रमाण पत्र (पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा)
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)।
5. निष्क्रमण प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट)।
6. अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।

आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ उपर्युक्त प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित प्रतिलिपियाँ अवश्य संलग्न करनी होगीं प्रवेश के समय मूल प्रमाण-पत्र मांगने पर दिखाना अनिवार्य होगा। परिसर में प्रवेश स्वीकृत होने पर प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित शुल्क एवं सुरक्षित धनराशि (रूपये में) पूरी अवधि के लिए आरम्भ में ही जमा करनी होगी -

शुल्क विवरण	विद्यावारिधि (शोध)
1. प्रवेश आवेदन पत्र	100
2. प्रवेश	150
3. सुरक्षित धन पुस्तकालय (प्रत्यावर्तनीय)	5000
4. नामांकन	100
5. परिचय पत्र	50
6. पत्रिका (प्रतिवर्ष)	100

7. क्रीड़ा (प्रतिवर्ष)	100
8. छात्रकोष	500
9. विविध प्रवृत्ति/कलाकृति	200
10. परीक्षा शुल्क	500
कुल शोध - 6800	

टिप्पणी :- परिचय पत्र खो जाने, नष्ट होने पर पुनः परिचय पत्र हेतु शुल्क 100/- देय होगा।

21. आचार संहिता : परिसर के सभी छात्र अनुशासन के समस्त नियम

21.1 छात्र को आत्मानुशासन का पालन करना होगा और नियमित उपस्थिति रखनी होगी।

1. छात्रों को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उन्हें यथोचित दण्ड दिया जायेगा। छात्रों द्वारा अत्यन्त गम्भीर दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर/प्रमाणित होने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा पर छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकेगा।
2. संस्थान के समस्त परिसर में मादक पदार्थों धूम्रपान आदि का सेवन सर्वथा वर्जित है। पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3. कोई छात्र यदि परिसर की सम्पत्ति का नुकसान करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान हुई सम्पत्ति की भरपाई के लिए वह जिम्मेदार होगा।
4. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे।
5. परिसर में स्वयं या उनके द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति भंग करने, अपनी बात जर्बदस्ती मनवाने का प्रयास करने पर परिसर की अनुशंसा समिति उस छात्र को दण्डित कर सकती है।
6. अनुशासन समिति की अनुंशसा पर प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
7. परिसर में कालांश के समय छात्रों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।

21.2 रैगिंग निषेध अधिनियम : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग निषेध अधिनियम - 2009 के नियम-6.3

(क) रैगिंग में निम्नलिखित अपराध सम्मिलित हैं -

1. रैगिंग हेतु उकसाना।
2. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।
3. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।
4. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।
5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।
6. शरीर को चोट पहुँचाना।
7. गलत ढंग से रोकना।
8. आपराधिक बल प्रयोग।
9. प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।
10. बलात् ग्रहण।

11. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
12. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।
13. आपराधिक धमकी।
14. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।
15. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।
16. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।
17. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

21.3 रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्य :

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे -

(क) किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।

(ख) छात्र अथवा छात्रों द्वारा अनुशशसनहीनता का वातावरण बनाना, जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

(ग) किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिएस कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

(घ) वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।

(ङ) नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य का करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

(च) नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

(छ) शारीरिक शोषण को कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शौषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट-जिससे किसी व्यक्ति अथवा असके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

(ज) मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

(झ) कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

21.4 संस्थाध्यक्ष द्वारा रैगिंग विराधी की जाने वाली कार्यवाही - रैगिंग विराधी दल अथवा सम्बन्धित किसी व्यक्ति के द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराएं अथवा रैगिंग से सम्बधिन्त विधि के अनुसार संस्तुति दें।

21.5 रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही - रैगिंग निषेध अधिनियम - 2009 के नियम 9.1 (ख) के अनुसार रैगिंग में संलिप्त छात्र/छात्रा के लिए दण्ड का प्रावधान है। किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा-

21.6 रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बद्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हूए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।

21.7 रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुब निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड होंगे।

1. कक्षा में उपस्थिति होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन।
2. छात्रतृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना।
3. किसी टेस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थिति होने से वंचित करना।
4. परीक्षाफल रोकना।
5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
6. छात्रावास से निष्कासित करना।
7. प्रवेश रद्द करना।
8. संस्था से चार सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।
9. रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके तो संस्थानसामूहिक दण्ट का आश्रय ले।

21.8 रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जा सकेगी-

1. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान होने पर कुलपति से।
2. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से।
3. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसके चेयरमेन अथवा चांसलर से अथवा स्थिति के अनुसार।

22. छात्रों को प्रदेय सुविधाएँ :

ग्रन्थालय सुविधा

22.1 **ग्रन्थालय - नियम**

22.2 संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्र पुस्तकालय में सुरक्षित धन जमा करवाकर पुस्तकालय के सदस्य बन सकते हैं।

22.3 शोधार्थी को 30 दिनों के लिये पुस्तकें दी जाती हैं। यदि पुस्तक निर्धारित समय पर जमा नहीं की जायेगी तो प्रत्येक पुस्तक के लिए विलम्ब शुल्क देना होगा।

22.4 सन्दर्भ ग्रन्थ, दुर्लभ एवं बहुमूल्य पुस्तकें पुस्तकालय से निर्गत नहीं की जायेगी।

22.5 पुस्तक खो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में पुस्तक लेने वाले को वैसी ही पुस्तक लाकर देनी होगी अथवा पुस्तकालय नियमानुसार उसका मूल्य चुकाना होगा। अत: पाठक को पुस्तकें भली-भाँति देखकर लेनी चाहिए।

22.6 पुस्तकों पर पेन, पेन्सिल आदि से लिखना या चिह्न लगाना वर्जित है।

22.7 शोध प्रबन्ध जमा करने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस करना, एवं पुस्तकालय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा परिसर द्वारा शोध प्रबन्ध अग्रसारित नहीं किया जायेगा।

22.8 प्रत्येक सदस्य शोध छात्र को 10 पाठक पत्र (कार्ड) दिये जायेंगे जो अहस्तांतरणीय होंगे।

22.9 पुस्तकालय में शान्तिपूर्वक रहना अपेक्षित है।

22.10 पत्रिकायें पढ़कर यथास्थान रखना होगा। बिना स्वीकृति के किसी भी पुस्तक अथवा पत्रिका को पुस्तकालय से बाहर ले जाना वर्जित है।

22.11 पुस्तकालय के नियम भंग करने की स्थिति में पुस्तकालय के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार संस्था प्रधान को होगा।

22.12 आवश्यक होने पर सदस्य से पुस्तकें समय से पूर्व भी वापस लौटायी जा सकेगी।

23. विशेष उपबन्ध

23.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/संस्थान के विद्वत्परिषद् द्वारा उपरोक्त नियमों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने की स्थिति में संशोधित नियम संस्थान में तत्काल प्रभाव से लागू स्वीकार किये जायेंगे।

23.2 राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान विद्यावारिधि (पीएच-डी.) नियमावली, 2019-20 के किसी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

23.3 संस्थान की विद्वत्परिषद् द्वारा इस विनिमय के प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन या उसके निरस्तीकरण का सुझाव संस्थान के प्रबन्ध मण्डल को किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।